फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

विजय कुमार वगैरा बनाम मांगीलाल वगैरा

किस्म मुकदमाः– 212 आरटीए प्रकरण संख्याः–203/2023 (GCMS 2023/181)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.06.2024	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस0डी0 के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 82 नई 53 पुरानी के पत्थर संख्या 114/391 (8) किला नं. 23 ता 25 की 0.759, पत्थर संख्या 114/392 (17) किला नं. 3 ता 8, 14 ता 17, 25 की 2.783 हैक्टर कमाण्ड कुल 3.542 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 1/3 हिस्सा भूमि अंकित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उनके पिता राजाराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जैर प्रकरण भूमि पैतृक सम्पति है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नशा करता है। वादीगण अपने कर्तव्य का निर्वहन नही करता है। वादीगण ही उक्त 1/3 हिस्सा भूमि में काश्त कर अपना जीवन यापन करते आ रहें है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी भूमि को बेचान करने की धमकी दे रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम अंकित भूमि का बेचान कर दिया तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान संभव है। जैर प्रकरण रकबा पैतृक है। जिसमें वादीगण अपने हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 18.09.2023 को जारी टी0आई0 वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 82/53 की कुल 3.542 हैक्टर कमाण्ड भूमि में वादीगण के पिता मांगीलाल पुत्र राजाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त खाता में नामान्तकरण संख्या 514 दिनांक 13.08.2022 से विरास्तन प्राप्त होना अंकित है। जैरवाद रकबा विरास्तन प्राप्त होने से पैतृक होना साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित तहसील सूरतगढ़ के चक 13 एस0डी0 की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 82/53 की कुल 3.542 हैक्टर कमाण्ड भूमि में से 1/3 हिस्सा को वाद के निर्णय तक रहन व बेचान नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सीता शर्मा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ